

ई-अन्नदाता पत्रांक संख्या eAnna/2503/497 ई-अन्नदाता वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आवेदित पद हेतु अनिवार्य विस्तृत सूचना/विवरणी इस प्रकार है-

1. ई-अन्नदाता साथी का आवेदन विकसित भारत कार्यक्रम - 2047 के अन्तर्गत किसानों को गौरवान्वित महसूस कराने के उद्देश्य से किया जा रहा है।
2. प्रत्येक ग्राम सभा में एक ई-अन्नदाता साथी के लिए एक ही व्यक्ति का चयन होता है।
3. ई-अन्नदाता साथी के आवेदन पत्रों का सत्यापन (वेरिफिकेशन) 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक किया जाएगा।
4. **आयु सीमा-** ई-अन्नदाता साथी की निर्धारित आयु 18 से 45 वर्ष मान्य होगी।
5. **योग्यता:** ई-अन्नदाता साथी को इंटरमीडिएट या समकक्ष व कंप्यूटर ज्ञान होना जरूरी है।
6. ई-अन्नदाता साथी को आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं बैंक पासबुक का प्रतिलिपि संलग्न करना होता है।
7. ई-अन्नदाता साथी का आवेदन शुल्क केवल 1999 रुपए होगा परंतु मर्यादित तिथि समाप्त होने के पश्चात यह आवेदन शुल्क 19990 रुपए हो जाएगा अतः आपको सलाह दी जाती है कि जल्द से जल्द अपना आवेदन सुनिश्चित कर लेवे।
8. ई-अन्नदाता साथी को eKYC ई-अन्नदाता कार्ड बनाने का प्रति कार्ड के हिसाब से भुगतान किया जाता है।
9. ई-अन्नदाता साथी अपने ग्राम सभा में केंद्र स्थापित कर कम से कम रुपए 25,000 प्रतिमाह से लेकर रुपए 3,50,000 प्रति माह तक का कार्य कर लाभ कमा सकते हैं यह उनके कार्य क्षमता व कार्य कुशलता पर निर्भर होगा यह ई-अन्नदाता साथी को डीबीटी (डायरेक्ट बेंचिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से उनके खाते में स्वतः ही जमा हो जाएगा।
10. एक ग्राम सभा में केवल एक ही ई-अन्नदाता साथी का आवेदन स्वीकृत किया जाना है अर्थात् पहले आओ पहले पाओ के आधार पर स्वीकृति दी जाती है यदि किसी स्थान पर यह ई-अन्नदाता साथी या केयर सेंटर को स्वीकृत हो गई है तो वहां पर ई-अन्नदाता साथी का आवेदन नहीं किया जा सकता है उस स्थिति में आप धैर्य रखें कृपया परेशान ना हों।
11. आवेदन होने के पश्चात् ई-अन्नदाता साथी के पास 10x10 वर्ग फिट का रूम (स्वयं अथवा किराये का) कार्यालय हेतु उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
12. आवेदन होने के पश्चात् ई-अन्नदाता साथी के लिए कंप्यूटर/लैपटॉप, वेबकैम कैमरा, स्कैनर आदि उपलब्ध कराना अनिवार्य है न होने की स्थिति में प्री पेड किट उपलब्ध कराया जाएगा।
13. सत्यापन के समय ई-अन्नदाता साथी को ग्राम प्रधान/सरपंच/मुखिया के द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र व तथा शपथ पत्र (नोटरी) मूल कॉपी में देना अनिवार्य होगा।
14. आवेदित ई-अन्नदाता साथी के समस्त दस्तावेजों का मूल कापी रजिस्टर्ड डाक से स्वीकार किया जाएगा।
15. ई-अन्नदाता साथी को ग्राम सभा स्तर पर किसानों का ई-अन्नदाता कार्ड निःशुल्क बनाना होगा जो किसानों के घर पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा जायेगा। इसके अतिरिक्त ई-अन्नदाता द्वारा निर्धारित कार्यों को भी पूर्ण करना अनिवार्य होगा, जिसका भुगतान अतिरिक्त किया जायेगा।
16. ई-अन्नदाता साथी को पूरे ब्लॉक में ई-अन्नदाता द्वारा दिए गए कार्यों का पूर्ण रूप से प्रबन्धन करना अनिवार्य होगा।
17. ई-अन्नदाता साथी को कार्ड बनाने के अतिरिक्त किसानों को गौरवान्वित कराने के उद्देश्य से संचालित योजना का क्रियान्वयन अपने पूरे ब्लॉक में कराना होगा।
18. ई-अन्नदाता साथी ई-अन्नदाता द्वारा निर्धारित शुल्क व फाइल चार्ज के अतिरिक्त कोई अन्य शुल्क देय नहीं होगा।
19. आवेदन किए जाने से चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक इस सम्बन्ध में ई-अन्नदाता के किसी भी पदाधिकारी अथवा कार्यालय के किसी भी कर्मचारी से भौतिक मिटिंग अथवा व्यक्तिगत मिलना स्वीकरणीय (अनुमति) नहीं होगा।
20. यदि कोई ई-अन्नदाता साथी ई-अन्नदाता के किसी पदाधिकारी व कर्मचारी के प्रति दुर्व्यवहार करता है, दिशा निर्देश का उल्लंघन करता अथवा कार्य में रुकावट डालता है तो उनको बिना पूर्व सूचना के निलंबित करने का अधिकार ई-अन्नदाता के पास सुरक्षित होगा।
21. इस पूरे प्रक्रिया में कार्यों के बदलाव, नियम, अनुशासन आदि में बदलाव करने व निरस्त करने के लिए ई-अन्नदाता पूर्णतः सर्वाधिकार सुरक्षित व स्वतंत्र है।
22. इसमें होने वाले किसी भी प्रकार की नुकसान अथवा क्षति के लिए ई-अन्नदाता जिम्मेदार नहीं होगा।
23. कृपया ध्यान दें ई-अन्नदाता के आधिकारिक वेबसाइट www.eAnnadata.in पर पूर्ण रूप भरे गए आवेदन ही मान्य व विचारणीय होंगे।
24. ई-अन्नदाता से सम्बन्धित किसी भी जानकारी के लिए हमारी आधिकारिक वेबसाइट www.eAnnadata.in पर जायें अथवा टोल-फ्री नं० - 1800-208-5254 पर सम्पर्क करें।
25. उत्कृष्ट कार्य करने वाले ई-अन्नदाता साथी को सामान्य ई-अन्नदाता केयर सेंटर में परिवर्तित कर दिया जाएगा जिससे कि ई-अन्नदाता के सभी योजनाओं को संचालित कर सकेंगे।
26. यदि ई-अन्नदाता साथी 40 कार्ड प्रतिदिन बनाते हैं तो कम से कम 250000 रुपए अवश्य ही लाभ प्राप्त कर लेंगे।

